लय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मूर्ति सीताराम नाम बाबू मु. सं. 3/11	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 4–5–2018

आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प बालाहेडी पेश हुई। सायल/गैरसायल उपस्थित नही है।पत्रावली का अवलोकन किया गया। सायल की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये ग्राम हांसिलपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 14 व 220 कुल किता 2 रकबा 1.27 हैक्टयर के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर श्री सीताराम जी के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिससे अप्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया कोई संबंध होना प्रमाणित नहीं होता है। इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम हांसिलपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 14 व 220 कुल किता 2 रकबा 1.27 हैक्टयर में सायल के कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)
कैम्प बालाहेडी